



2026:AHC-LKO:42194-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट-सी संख्या - 4815 वर्ष 2026

विश्वेन्द्र कुमार उर्फ विश्वेन्द्र कुमार सिंह

.... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ द्वारा सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी

मंत्रालय, नई दिल्ली एवं 5 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: सुमित कुमार श्रीवास्तव, प्रांशु अग्रवाल

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: ए० एस० जी० आई० ,मुख्य स्थायी अधिवक्ता

धर्मेन्द्र कुमार दीक्षित

न्यायालय संख्या-2

माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

माननीय न्यायमूर्ति ज़फ़ीर अहमद

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विरोधी पक्षकार संख्या 2 से 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार दीक्षित की ओर से पक्षपत्र धारक श्री हर्ष त्रिपाठी, अधिवक्ता और विरोधी पक्षकार संख्या 6 के विद्वान राज्य अधिवक्ता को सुना।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. याचिका दिनांक 06.04.2026 के उस आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है जिसके द्वारा प्रश्नगत परिसर के संबंध में रु.36,39,830/- की दंडात्मक किराए की मांग के विरुद्ध याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया है।

3. इसके अतिरिक्त अनुषंगी प्रार्थना भी की गई है।

4. सर्वप्रथम, विरोधी पक्षकार संख्या 2 से 5 के विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य के दृष्टिगत इस याचिका की पोषणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, लखनऊ के समक्ष अधिसूचित है, जो ही प्रथम दृष्टया न्यायालय है जहाँ मूल आवेदन दाखिल किया जाना चाहिए था।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता सीएसआईआर का कर्मचारी नहीं है, वह केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, लखनऊ के समक्ष कोई मूल आवेदन दाखिल करने का हकदार नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता स्वीकार करते हैं कि याचिकाकर्ता सीएसआईआर का कर्मचारी नहीं है और प्रश्नगत आदेश याचिकाकर्ता की मृत पत्नी को आवंटित स्टाफ क्वार्टर के लिए दंडात्मक किराया अधिरोपित किए जाने के संबंध में पारित किया गया है।

7. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, चूंकि याचिकाकर्ता सीएसआईआर का कर्मचारी नहीं है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका किसी वैकल्पिक उपचार का अवलंब किए बिना पोषणीय होगी।

8. अतः याचिका पोषणीय मानी जाती है और प्रतिवादीगण द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियां अस्वीकार की जाती हैं।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि स्टाफ क्वार्टर संख्या सी-29, सीडीआरआई कॉलोनी, लखनऊ याचिकाकर्ता की पत्नी को आवंटित किया गया था जिनका निधन हो गया। याचिकाकर्ता के विरुद्ध बी० एन० एस० और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और वह 30.09.2005 तक निरुद्ध रहा। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि जैसा कि प्रश्नगत आदेश से ही स्पष्ट है, उसकी पत्नी के निधन के पश्चात् उक्त परिसर याचिकाकर्ता के ससुर को आवंटित किया गया था जो 10.04.2022 से 04.05.2023 तक उसके कब्जे में रहे और उक्त अवधि का किराया भी उनके द्वारा भुगतान किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उक्त परिसर कभी भी याचिकाकर्ता को आवंटित नहीं किया गया था और न ही वह कभी उसके कब्जे में रहा और इसलिए, वह उक्त परिसर के संबंध में किसी भी दंडात्मक किराए के लिए उत्तरदायी नहीं है।

10. विरोधी पक्षकार संख्या 2 से 5 के विद्वान अधिवक्ता ने उसके प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता द्वारा सीएसआईआर के प्राधिकारियों को भेजे गए दिनांक 24.11.2022 और 27.06.2023 के पत्रों का उल्लेख किया जिसमें यह इंगित किया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता की मूल्यवान वस्तुएं उक्त परिसर में रखी गई थीं, इसलिए कब्जा किसी तृतीय पक्ष को अंतरित नहीं किया जाना चाहिए और पत्रों में किए गए ऐसे कथन के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कारण ही कोई तृतीय पक्ष हित सृजित नहीं किया गया और न ही किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा अंतरित किया गया और इसलिए ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता दंडात्मक किराए के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

11. प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये तर्क में बल है और वह विचार किए जाने योग्य है विशेष रूप से इस स्वीकृत स्थिति के दृष्टिगत कि उक्त परिसर कभी भी याचिकाकर्ता को आवंटित नहीं किया गया था और न ही उसे उक्त संपत्ति का कब्जा दिया गया था और इसके विपरीत उक्त पत्रों के बावजूद वास्तव में उसके ससुर को कब्जा अंतरित किया गया था।

12. उत्तर देने वाले विरोधी पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता किसी ऐसी विधि के प्रावधान को इंगित करने में समर्थ नहीं हुए हैं जिसके द्वारा याचिकाकर्ता से ऐसी वसूली प्रारंभ की जा सके।

13. उपर्युक्त के दृष्टिगत, विरोधी पक्षकारों को प्रति शपथपत्र दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है।

14. इस वाद को 03.08.2026 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाए।

15. अगले आदेश तक, यह निर्देशित किया जाता है कि स्टाफ क्वार्टर संख्या सी-29, सीडीआरआई, कॉलोनी, लखनऊ के किसी आवंटन के अनुसरण में याचिकाकर्ता से कोई वसूली प्रारंभ या की नहीं जाएगी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. तथापि, उपर्युक्त पहलुओं के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह परिसर से अपनी मूल्यवान वस्तुओं और अन्य सामग्री को हटाने के लिए प्राधिकारियों के साथ सहयोग करे ताकि इसे संगठन के किसी अन्य पात्र कर्मचारी को आवंटित किया जा सके।

(न्यायमूर्ति ज़फ़ीर अहमद) (न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

29 जून, 2026

शाहनाज़

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।